न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– राजेन्द्र सिंह शेखावत, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–292/2022/225 आर.टी.एक्ट (2022/292)

1. राजेश पुत्र सोहनलाल दत्तक पुत्र नाथूलाल जाति कलाल निवासी, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. श्रीमती हाबुडी पत्नी मदन
2. बबलू पुत्र मदन
3. श्रीमती नन्दू पत्नी सोहन
4. ज्ञानचंद पुत्र सोहन
5. अनूप पुत्र श्रीकिशन
6. कैलाश पुत्र श्रीकिशन
7. लहरी पत्नी श्रीकिशन
   समस्त जाति कलाल, निवासी भिनाय तहसील भिनाय, जिला अजमेर।
8. रामकुमार पुत्र सुखदेव
9. हंसराज पुत्र सुखदेव
   दोनों जाति जाट निवासी ग्राम जोरावरपुरा, तहसील भिनाय, जिला अजमेर।
10. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, ब्यावर, जिला अजमेर।

रेस्पोडेंटस

अपील अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय विरूद्ध निर्णय दिनांक 28.09.2022 राजस्व वाद संख्या 64/2019

उपस्थितः–

1. श्री हेमराज गुप्ता, अभिभाषक अपीलांट.
2. श्री विरेन्द्र सिंह पंवार, अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7.
3. श्री विकास पाराशर, राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1.0
4. रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4, 8, 9.

निर्णय

दिनांकः– 08.05.2023

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 64/2019 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वर्तमान अपीलांट/वादी द्वारा एक वाद अंतर्गत धारा 88, 188, 92ए व 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 का विरूद्ध रेसपोडेंन्ट्स/प्रतिवादीगण उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष पेश किया एवं वाद पत्र के साथ धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थी द्वारा उक्त आशय का वाद व प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 प्रस्तुत होने पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने आदेश दिनांक 20.12.2019 से प्रार्थना पत्र दर्ज कर अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किए जाने बाबत आदेश पारित किए गए। जिस पर अप्रार्थी जरिए अधिवक्ता अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उपस्थित हुआ तथा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि जगमाल उर्फ जगन्नाथ पुत्र भूरा विवाहित था उसके धर्मपत्नी श्रीमती गलकू देवी थी तथा दोनों के दाम्पत्य संबंधों से एक संतान पुत्री श्रीमती नन्दू देवी हुई थी नन्दू देवी का विवाह श्री रूपलाल के साथ ग्राम शम्भूगढ तहसील आंसीद जिला भीलवाडा में हुआ था नन्दू देवी की मृत्यु बमुकाम ग्राम शम्भूगढ में हो चुकी है तथा नन्दू देवी के जाईन्दा पुत्र धर्मीचन्द है जो वर्तमान में जीवित है जो जगन्नाथ पुत्र भूरा का वारिस है। उक्त तथ्यों को छिपाते हुए गलत सजरा अंकित कर प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा प्रस्तुत किया जिसे खारिज फरमाय जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में दोनों पक्षों की बहस सुनते हुए अपने आक्षेपित निर्णय दिनांक 28.09.2022 द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज फरमा दिया। अतः अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 64/2019 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में अभिभाषक अपीलांट एवं अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 5 से 07 की बहस सुनी गई। रेस्पोडेंट संख्या 1 से 4, 8, 9 बावजूद सूचना के अनुपस्थित।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि प्रार्थी द्वारा वाद एवं प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा में जो सजरा अंकित किया है उसके समर्थन में प्रार्थी द्वारा ग्राम पंचायत भिनाय का वारिस प्रमाण पत्र दिनांक 17.09.2003 प्रस्तुत किया है जिससे स्पष्ट है कि जनन्नाथ पुत्र भूरा अविवाहित फौत हुआ है तथा अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 लगायत 4 उसके विधिक वारिसान है तथा विवादित चाह पर काबिज होकर मालिक व स्वामी है परंतु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों व दस्तावेजों का नजरअंदाज करते हुए निर्णय पारित किया है। विपक्षीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 एवं एक प्रार्थना पत्र धारा 340 जाप्ता फौजदारी प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी द्वारा वाद पत्र में गलत व झूठे तथ्य अंकित किए है, गलत, कूटरचित फजी व झूठा प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जगन्नाथ उर्फ जगमाल पुत्र भूरा कलाल को अविवाहित फौत बताकर फर्जी सजरा प्रमाण पत्र बनवा कर वादपत्र प्रस्तुत कर दिया है जो भारतीय दण्ड संहिता के तहत दण्डनीय अपराध है तथा प्रार्थी के विरूद्ध फौजदारी मुकदमा दायर करने का निवेदन किया यहां गौरतलब है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण के उक्त प्रार्थना पत्र को अपने आदेश दिनांक 01.04.2022 द्वारा खारिज फरमा दिया इससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा विपक्षीगण के कथनों पर विश्वास नहीं किया फिर भी अधीनस्थ

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

राजस्व अपील प्राधिकारी अजमेर

Scanned with CamScanner

न्यायालय द्वारा निर्णय पारित किया गया है। विपक्षीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पटवारी हल्का भिनाय का मौका पर्चा दिनांक 02.09.2021 प्रस्तुत किया है जिसमें जगन्नाथ पुत्र भूरा के वारिसान के रूप में उसक पत्नि गलकू तथा पुत्री नन्दू देवी एवं नन्दू देवी का पुत्र धर्मीचंद दर्शाया गया है तथा मौका पर्चा पर गवाह मुख्तार अहमद पुत्र फकीर मोहम्मद, दौलतप्रकाश पुत्र मांगीलाल मेवाडा, भंवरलाल पुत्र रामचंद जीनगर, कैलाश पुत्र श्रीकिशन के हस्ताक्षर है एवं इसी प्रकार पटवारी हल्का शम्भूगढ तहसील आंसीद जिला भीलवाडा का मौका पर्चा दिनांक 24.08.2021 प्रस्तुत किया जिसमें भी नन्दू देवी पत्नि रूपलाल को जगन्नाथ पुत्र भूरा की पुत्री होना तथा नन्दू देवी का एक पुत्र धर्मीचन्द होना बताया गया है और मौका पर्चा पर गवाह के रूप में शंकरलाल पुत्री धर्मीचंद, अनूप पुत्र किशनलाल कलाल, मांगीलाल पुत्र फतेहलाल कलाल, मोतीलाल पुत्र मूलाराम जीनगर, सुगनचंद पुत्र मोहनलाल जीनगर तथा चौथमल पुत्र धन्ना रेगर के हस्ताक्षर है यहां गौरतलब है कि पटवारी हल्का द्वारा निर्मित मौका पर्चा विधिक वारिसान को साबित करने का वैधानिक दस्तावेज नहीं है ना ही मौका पर्चा के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विधिक वारिस घोषित किया जा सकता है, प्रस्तुत मौका पर्चा में अंकित गवाहान भी विपक्षीगण तथा धर्मीचंद के रिश्तेदार, सगे–संबंधी एवं मित्रगण है जिनकी गवाही कानूनन मान्य नहीं है मौका पर्चा पर किसी भी स्वतंत्र गवाह के हस्ताक्षर नहीं करवाए गए है ऐसी स्थिति में केवल मात्र मौका पर्चा के आधार पर धर्मीचंद को जगन्नाथ पुत्र भूरा का वारिस माना जाना कतई न्यायोचित एवं न्यायसंगत नहीं है। पटवारी हल्का भिनाय द्वारा निर्मित मौका पर्चा दिनांक 02.09.2021 के गवाह मुख्तार अहमद पुत्र फकीर मोहम्मद, दौलतप्रकाश पुत्र मांगीलाल मेवाडा ने शपथ पत्र देकर बयान किए है कि पटवारी हल्का भिनाय ने हमसे कुछ भी नहीं पूछा था पटवारी हल्का भिनायं द्वारा जो मौका पर्चा बनाया है वह गलत है। इसके बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त तथ्यों को नजरअंदाज करते हए निर्णय पारित किया गया है। विपक्षीगण द्वारा जगन्नाथ पुत्र भूरा की अन्य आराजीयात वर्किंग जमाबंदी के खाता नम्बर नया 369 पुराना 382 खसरा नम्बर 3692, खसरा नम्बर 3694 व खसरा नम्बर 3717 के विरासती नामांतरण संख्या 269 दिनांक 19.06.1992 में सजरा अंकित कर जगन्नाथ का पुत्र देवी तथा देवी का पुत्र श्रीकिशन तथा श्रीकिशन के वारिस लहरी, कैलाश, अनूप अंकित करते हुए नामांतरण स्वीकृत करवाया है तथा उक्त आराजी के नए खसरा नम्बर 6200, 6201, 6202 कुल किता 03 कुल रकबा 0.56 हैक्टर आधार जमाबंदी में पुनः जगन्नाथ पुत्र भूरा के नाम हो जाने से विपक्षीगण द्वारा न्यायालय उपखण्ड अधिकारी भिनाय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के तहत प्रस्तुत किया है जिसमें भी जगन्नाथ पुत्र भूरा का विधिक वारिस स्वयं को ही बताया है इस प्रकार विपक्षीगण द्वारा अलग अलग कार्यवाहियों में जगन्नाथ पुत्र भूरा के अलग अलग वारिस अंकित किए जा रहे है उक्त सभी कार्यवाही फर्जकारी कर एवं मिलीभगत कर की जा रही है उक्त समस्त तथ्य भी एंव दस्तावेज भी अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष पत्रावली पर उपलब्ध थे जिसके बावजूद भी अवैधानिक रूप से आक्षेपित निर्णय पारित किया गया। प्रार्थी द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष धर्मीचंद पुत्र रूपालाल का जन आधार कार्ड भी प्रस्तुत किया था जिसमें धर्मीचंद की माता का नाम गुलाब देवी अंकित है इससे भी स्पष्ट है कि धर्मीचंद की माता नन्दू देवी नहीं थी एवं विपक्षीगण द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

किए गए सारे कथने मनगढत है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा निर्णय में यह अंकित किया गया है कि पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार यह स्पष्ट है कि जगन्नाथ वल्द भूरा के विधक वारिस उपलब्ध है एवं प्रार्थी द्वारा उन्हे प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है जो विधि सम्मत नहीं है यहां गौरतलब है कि झूठे कथनों के आधार पर एवं फर्जी दस्तावेजों के आधार पर किसी को विधिक वारिस घोषित करने का अधिकार अधीनस्थ न्यायालय को नहीं है विधिक वारिस घोषित करने का अधिकार सिविल न्यायालय को प्राप्त है, परंतु अधीनस्थ न्यायालय ने अपने क्षेत्राधिकार से बाहर जाकर निर्णय पारित किया है। माननीय उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय व राजस्व मण्डल द्वारा अपने अनेकानेक निर्णयों में यह सिद्धांत प्रतिपादित किया है कि वाद के विचाराधीन रहते वाद की विषय वस्तु को सुरक्षित रखा जाना चाहिए एवं वाद की विषय वस्तु को सुरक्षित रखा जाना न्यायालय का कर्तव्य भी है। वाद के विचाराधीन रहते वाद की विषय वस्तु को खुर्द बुर्द कर दिया जाता है, तो वाद बाहुल्यता बढ़ती है, एवं अपीलांटस अपने हक व अधिकारो से महरूम हो जाएगी जो कतई न्यायोचित व न्याय संगत नहीं है। माननीय न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाई जावे व अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 64/2019 में पारित आदेश दिनांक 28.09.2022 को निरस्त फरमाया जाकर विपक्षीगण को पाबंद फरमाया जावे कि ताफैसला मूल वाद वादग्रस्त आराजी मे अपीलांटस के कब्जे काश्त में दखल मजाहमत उत्पन्न नहीं करे, राजस्व रिकार्ड में फेरबदल नहीं करे व राजस्व रिकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाए रखने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 5 से 7 ने दौराने अपील जवाब/बहस में कथन किया कि उक्त प्रार्थना पत्र गलत तथ्यों पर आधारित है। प्रार्थी द्वारा श्री जगन्नाथ वल्द भूरा जाति कलाल जो वादग्रस्त आराजीयात के खातेदार काश्तकार 1/2 हिस्सा अधिकारी है को अविवाहित/नाऔलाद फौत बताकर वादग्रस्त आराजीयात स्वयं एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 के नाम दर्ज कराने की नियत से प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जबकि श्री जगन्नाथ वल्द भूरा की विधिक वारिस उनकी पत्नी गलकू देवी एवं उनसे उत्पन्न संतान श्रीमती नन्दू देवी एवं उनके पश्चात नन्दू देवी के वारिसान उक्त वादग्रस्त भूमियों पर हक अधिकार रखते है। प्रार्थीगण द्वारा उक्त तथ्य छिपाकर न्यायालयक को गुमराह कर भी जगन्नाथ की भूमि को हथियाने बाबत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है जो खारिज योग्य है। प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत पारिवारिक सजरा प्रमाण–पत्र जारीकर्ता कार्यालय को गलत जानकारी उपलब्ध कराकर जारी कारण प्रार्थी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने का कोई अधिकार नहीं होने से प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने योग्य बताया। आराजीयात/गै.मु.चाह भूमि जगन्नाथ उर्फ जगमान पुत्र भूरा जाति कलाल निवासी भिनाय की पुश्तैनी है जिससे प्रार्थी का किसी भी प्रकार से सम्बन्ध, सरोकार या किसी अविवादित फौत बताकर उसकी पुश्तैनी आराजीयात को हड़पने की नियत से प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जगन्नाथ उर्फ जगमान की मृत्यु उपरान्त जायन्दा विधिक वारिसान पुत्री श्रीमती नन्दू देवी के होने तथा उसके धर्मीचन्द जायन्दा पुत्र होने के बावजूद तथा खातेदार काश्तकार की आराजीयात है तथा लगातार निरन्तर राजस्व रिकार्ड व खुद कब्जे काश्त की स्वामित्व व आधिपत्य की रिकार्डेड खातेदार काश्तकार की आराजीयात के खिलाफ प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है तथा सजरा

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner

के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया है तथा गलत सजरा बनाकर प्रस्तुत किया है उस सजरे में वर्णित वारिसान को पक्षकार बनाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने सभी कानूनी प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए विधि सम्मत निर्णय पारित किया है जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अपीलांट की अपील सारहीन होने से खारिज की जावे।

6. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया बाद अवलोकन पाया कि अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वादग्रस्त आराजीयात बाबत खातेदारी उदघोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु राजस्व वाद प्रस्तुत कर उक्त राजस्व वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0काश्त0अधि0 पेश कर निवेदन किया कि वादग्रस्त आरजीयात 351 रकबा 0.04 हैक्टर बाबत जगन्नाथ पुत्र भूरा 1/2 हिस्सा रामकुमार पुत्र सुखदेव जाट के 1/4 हिस्सा, हंसराज पुत्र सुखदेव जाट 1/4 हिस्सा दर्ज है जगमाल पुत्र भूरा जिसे जगन्नाथ पुत्र भूरा भी जाना जाता है जिसकी अविवाहित नाऔलाद मृत्यु हो चुकी है तथा वादग्रस्त आराजीयात बाबत प्रतिवादीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली से यह स्पष्ट है कि विवादित आराजीयात बाबत धर्मीचन्द पुत्र रूपलाल द्वारा अपने जीवनकाल में ही विरासत का नामान्तकरण हेतु संबधित तहसीलदार भिनाय के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था तथा उक्त प्रार्थना पत्र बाबत संबधित तहसीलदार भिनाय द्वारा संबधित पटवारी को मृतक जगन्नाथ पुत्र भूरा के वारिसानों की जांच हेतु दिनांक 27.08.2021 को आदेश प्रदान किये थे तथा उक्त आदेश की पालना में संबंधित पटवारी द्वारा दिनांक 02.09.2021 को ग्राम भिनाय के मृतक जगन्नाथ पुत्र भूरा के वारिसानों की जांच कर मौका पर्चा मुर्तिब किया उक्त मौका पर्चा में जगन्नाथ पुत्र भूरा के नन्दू देवी पुत्री का स्पष्ट अंकन के साथ ही नन्दू देवी के पुत्र धर्मीचन्द का स्पष्ट रूप से अंकन है तथा इसी अनुक्रम में मौका पर्चा दिनांक 24.08.2021 में भी नन्दू देवी के वारिसानों में एक पुत्र धर्मीचन्द का होना बताया गया है तथा उक्त मौका रिपोर्ट में गवाहों एवं मौतबिरानों के हस्ताक्षर अंकित है इसी प्रकार से उक्त पत्रावली पर पच्चास रूपये का शपथ पत्र भी प्रस्तुत है जिसमें शपथकर्ता द्वारा भी नन्दू देवी के पुत्र धर्मीचन्द का अंकन किया गया है तथा इसी प्रकार से धर्मीचन्द स्वयं द्वारा एक शपथ पत्र 50 रूपयें के स्टाम्प पर अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया है तथा इसी प्रकार से नन्दूदेवी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 27.11.2019 में नन्दू देवी के पिता का नाम जगन्नाथ अंकित है इस प्रकार से उक्त दस्तावेजों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जगन्नाथ पुत्र भूरा के अन्य विधिक वारिसान उपलब्ध है उसके बावजूद अपीलांट/प्रार्थी द्वारा उन्हे आवश्यक पक्षकार होने के बावजूद उक्त अपील तथा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष उक्त अस्थायी निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में पक्षकार मुर्तिब नहीं कर अपीलांट द्वारा उक्त अपील तथ्यों को छुपाते हुए प्रस्तुत की है इस प्रकार से अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनो मूलभूत सिद्वान्त प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति अपीलांट के पक्ष में साबित नही होने के कारण अपील अपीलांट खारिज किये जाने योग्य प्रतीत होती है।

7. अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,भिनाय द्वारा प्रकरण संख्या 64/2019 में पारित

Scanned with CamScanner

आदेश दिनांक 28.09.2022 को यथावत रखा जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

8. निर्णय आज दिनांक 08.05.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

(राजेन्द्र सिंह शेखावत)
राजस्व अपील प्राधिकारी,
अजमेर

Scanned with CamScanner